कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी, अजमेर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, अजमेर)

क्रमांकः—प.( )केवीके / एजेएम / फार्म / 2025 / 468 दिनांकः— 22.11.2025

सीमित नीलामी—सूचना

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी, अजमेर में वर्ष 2025—26 के लिए के0वी0के0 में बेर के 102 अमरूद के 35 एवं आंवला 38 फलदार पौद्यों के फलों की खुली बोली द्वारा नीलामी की जायेगी अतः इच्छुक व्यक्ति 29.11.2025 को दोपहर 2:00 बजे कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी, अजमेर पर मौके पर उपस्थित होकर सलंग्न नीलामी सम्बन्धी शर्तानुसार बोली लगा सकते हैं। नीलामी सूचना को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित हैं—

9. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
10. कमेटी कन्वीनर / सदस्य / लेखाशाखा / ....।
11. प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।
12. मैसर्स ....।
13. मैसर्स ....।
14. मैसर्स ....।
15. कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी अजमेर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
16. रक्षित फाईल।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष,
कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर

कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी, अजमेर
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, अजमेर)

नीलामी सम्बन्धी शर्तों का विवरणः—

1. प्रत्येक बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. बोलीदाता अपना आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।
3. बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पहले रूपये 5000/—(अक्षरें रूपये पॉच हजार मात्र) धरोहर राशि जमा करवानी होगी। जिस बोलीदाता के नाम अंतिम बोली छूटेगी जिसका 100 प्रतिशत राशि सायः 04.00 बजे तक जमा करवानी होगी जिसमें धरोहर राशि नीलामी राशि में समायोजित कर ली जायेगी अन्य बोलीदाताओ की धरोहर राशि उसी दिन बोली पूर्ण होने पर लौटा दी जायेगी।
4. बोली छूटने के बाद **15.03.2026** तक उपरोक्त उत्पादों पर सफल बोलीदाता का अधिकार होगा।
5. नीलामी मे भाग लेने का अधिकार केवल धरोहर राशि जमा करवाने वाले व्यक्तियों का ही होगा। अतिंम बोली को छोड़ने या नहीं छोड़ने की अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
6. बोली छूटने के बाद बोलीदाता को नीलामी की सम्पूर्ण राशि उसी दिन सायः 04.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवानी होगी।
7. जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह अन्य व्यक्ति को ठेका नहीं दे सकेगा।
8. फलों का निरीक्षण बोलीदाता स्वयं फिल्ड में जाकर अवश्य कर लें।
9. उपरोक्त उत्पाद को फार्म से बाहर ले जाते समय फार्म मैनेजर से गेटपास लेना जरूरी होगा।
10. प्राकृतिक आपदा (आँधी, तूफान, बारिश, ओले आदि) की स्थिति होने पर 'फलोत्पादन में होने वाली मात्रात्क एवं गुणात्मक कमी की केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. फलों की तुडाई, परिवहन कार्य आदि के दौरान किसी भी श्रमिक का अंग भंग होने, घायल होने या अन्य घटना होने की स्थिति में ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
12. सफल निविदादाताओं को पौधों के थाले बनाना व सिंचाई का कार्य स्वयं के स्तर पर करना होगा तथा इस हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा मजदूरी नहीं दी जायेगी।
13. सफल निविदादाता को बगीचे मे लगने वाले खाद, उर्वरक व पेस्टीसाइड आदि कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा दिये जायेगें तथा इनको पौधो में देने का कार्य निविदादाता करेगा।
14. सफल निविदादाता अमरूद, बेर एवं आंवला के बगीचो की चौकीदारी स्वयं करेगा तथा बगीचे में की जाने वाली फसलों की चौकीदारी भी निविदादाता की होगी।
15. निविदादाता द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिको की किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
16. सफल निविदादाता को 100/— रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा।
17. बगीचों में लगे पौधों मे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए, यदि क्षति होगी तो निविदादाता को कमेटी द्वारा तय जुर्माना देना पडेगा।
18. कृषि विज्ञान केन्द्र फार्म पर केन्द्र भवन सहित अन्य भवन, फार्म उपकरण तथा अन्य कीमती सामान है, उनकी क्षति व चोरी आदि चूक खत की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी नुकसान या क्षति का कमेटी द्वारा तय जुर्माना निविदादाता को देना होगा।
19. यदि निविदादाता कृषि विज्ञान केन्द्र के संसाधन जैसे बिजली मोटर, फार्म उपकरण, पाइप, स्प्रेयर आदि का उपयोग करता है तो उन सभी के रखरखाव व सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
20. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर नीलामी निरस्त कर सम्बन्धित व्यक्ति की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
21. फलों की तुडाई/बेचान कार्यालय समय सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक फार्म प्रभारी/प्रबन्धक की देखरेख में करनी होगी।
22. निविदादाता के मजदूर व स्वयं फार्म पर मदिरा व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेगे और न ही किसी अन्य को करने देगा।
23. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता